

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर (राज.)

(फोन-05642-220162 ईमेल dlsa13dholpur@gmail.com)

क्रमांक:- 598

दिनांक:- 4-2-26

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक 878-921 दिनांक 16.01.2026 एवं श्रीमान्जी द्वारा जारी SOP (Directives for Efficient and Managed Utilization of Para Legal Volunteers For DLSAs and TLSCs in Rajasthan 2025) क्रमांक 15539-582 दिनांक 29.11.2025 तथा पत्र क्रमांक 26081-26111 दिनांक 13.09.2019 में दिये निर्देशानुसार मुख्यालय धौलपुर (Head PLV सहित) हेतु पैरा लीगल वॉलेन्टियर के पदों पर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक जिस पंचायत समिति हेतु आवेदन कर रहा है, वह उसी पंचायत समिति क्षेत्र का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(1) **शैक्षणिक योग्यता:-** आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिये। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने व पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिये।

(2) **आवेदन पत्र:-** इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।

(3) **परीक्षा:-** आवेदकों को साक्षात्कार में चयन किये जाने के पश्चात् प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा एवं बाद प्रशिक्षण पैरा लीगल वॉलेन्टियर को सफल घोषित किया जायेगा। सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा।

(4) **चरित्र:-** आवेदक द्वारा ऐसे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहियें।

(5) **शारीरिक योग्यता:-** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिये तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिये।

(6) **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किया जावें-**

1-जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकेण्डरी परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

2-शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।

3-दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिये।

4-आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिये।

5-जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

6-आधार कार्ड/राशन कार्ड की सत्यापित प्रति।

7-यदि आवेदक सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम0एस0डब्ल्यू0, छात्र व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर/फिजिशियन, छात्र व विधि छात्र (जब तक वे लॉयर (वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन0जी0ओ0, क्लब, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समुह से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व-प्राणित प्रति।

नोट:- Head Plv हेतु सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होंगी।


4.2.26

(7) **आवेदन की अंतिम तिथि:**— आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 10.02.2026 को सांय 05:00 बजे तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः स्वीकार किये जायेंगे। दिनांक 10.02.2026 को सांय 05.00 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न नहीं होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी पृथक से कोई सूचना आवेदक को नहीं दी जायेगी और ऐसे आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(8) **पात्रता:**— पैरा लीगल वॉलेन्टियर का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें निर्धारित मात्रा में साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पैरा लीगल वॉलेन्टियर चयन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में भी सुनिश्चित किया जायेगा, महिलाओं व मुख्यालय धौलपुर क्षेत्र के स्थानीय निवासीयों को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदक जिस क्षेत्र विशेष हेतु आवेदन कर रहा है, स्पष्ट रूप से अंकित करे। साथ ही उस पंचायत समिति क्षेत्र में निवास करने/रहने का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें व निकटवर्ती पंचायत समिति क्षेत्र में निवास करने/रहने का उल्लेख भी आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से पंचायत समिति का उल्लेख करते हुए करें।

निम्नांकित व्यक्ति भी पैरा लीगल वॉलेन्टियर चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम0एस0डब्ल्यू0, छात्र व अध्यापक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, डॉक्टर/फिजिशियन, छात्र व विधि छात्र (जब तक वे लॉयर (वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन0जी0ओ0, क्लब, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम व योग्य समझें।

Head PLV हेतु पात्रता:— सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/PSUs/Corporations/Banks/Teachers/Para-medicals इत्यादि होना अनिवार्य है।

चयनित पैरा लीगल वॉलेन्टियर के कर्तव्य (ड्यूटी):—

- 1-समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- 2-आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
- 3-पैरा लीगल वॉलेन्टियर द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित या मौखिक रूप से अवगत कराना।
- 4-पीडित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357-ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने वाबत् जानकारी देना।
- 5-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर कारागृह, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृहों का निरीक्षण करना एवं उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- 6-बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
- 7-विवादो का सेटलमेन्ट, प्रि-लिटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, पीडित प्रतिकर स्कीम के बारे में जानकारी देना एवं उनकी उपयोगिता बताना।
- 8-पैरा लीगल वॉलेन्टियर द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
- 9-पैरा लीगल वॉलेन्टियर द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादो का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।

11m
4-2-26

10-पैरा लीगल वॉलेन्टियर द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गये मटेरियल का प्रचार-प्रसार करना।

11-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ताल्लुका विधिक सेवा समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

(9) स्पष्टीकरण:- यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में पैरा लीगल वॉलेन्टियर के कार्य हेतु इच्छुक अंकित करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस स्थान अर्थात् किस पंचायत समिति स्तर पर पैरा लीगल वॉलेन्टियर का कार्य करना चाहता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पैरा लीगल वॉलेन्टियर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर एवं रालसा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार समय-समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा। आवेदक को किसी प्रकार से उक्त पद पर स्थायी नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। पीएलवी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर बिना किसी सूचना के उसे हटाया जा सकेगा।

नोट:-पैरा लीगल वॉलेन्टियर के चयन हेतु अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि बाबत सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी तथा जिला न्यायालय धौलपुर की बेवसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/dholpur> पर अपलोड की जायेगी। पृथक से किसी भी अभ्यर्थी को सूचना नहीं भेजी जावेगी।


4.2.26
सचिव

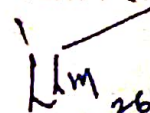
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
धौलपुर

क्रमांक: 599-605

दिनांक: 4-2-26

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. जिला कलेक्टर, धौलपुर
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर
4. उपखण्ड अधिकारी धौलपुर
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति धौलपुर
6. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, धौलपुर
7. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय/जिला न्यायालय की बेवसाईट/कार्यालय हाजा धौलपुर


4.2.26
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
धौलपुर

पैरा लीगल वॉलेन्टियर (पी.एल.वी.) के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	नाम आवेदक	:	अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो
2.	पिता/पति का नाम	:	
3.	आवेदक के पति/पत्नि का नाम (यदि विवाहित हो तो) (यदि आवेदक अविवाहित हो तो स्पष्टतः "अविवाहित" लिखें)	:	
4.	जाति	:	
5.	संवर्ग-सामान्य/अजा/अजजा/अपि वर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो वो लिखें)	:	
6.	स्थायी पता मय दूरभाष/मोबाईल नंबर	:	
7.	व्हाट्सएप नंबर	:	
8.	ईमेल आईडी	:	
9.	वर्तमान पता	:	
10.	निकततम पुलिस स्टेशन	:	
11.	जन्म तिथि (अंको में)	:	
	(शब्दों में)	:	
12.	शैक्षणिक योग्यता	:	
13.	यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए	:	
14.	आवेदक के विरुद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण दें।	:	
15.	राष्ट्रीयता	:	
16.	आवेदक पंचायत समिति धौलपुर का स्थानीय निवासी है। (हाँ/नहीं)	:	पंचायत समिति
17.	आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, किसी विशेष गुम से जुड़ा है तो उसका विवरण दें।	:	

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं.....सत्यापित करता/करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित
उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)